Ex.P.-463

9-95

कथन – ललित अग्रवाल

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर
अपराध कमांक	–	09/15
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	ललित अग्रवाल पिता श्री रमेश अग्रवाल
उम्र	–	41 वर्ष
पता	–	महामाया चौक रतनपुर, जिला बिलासपुर
मोबाईल नं0	–	98261–06453
व्यवसाय	–	सह संचालक, सिद्धी विनायक राईस मिल, कोरबा रोड रतनपुर जिला बिलासपुर

—00—

मैं ललित अग्रवाल पूछे जाने पर बता रहा हूँ कि मैं सिद्धी विनायक राईस मिल का सह संचालक हूँ। यह मिल मेरे छोटे भाई की पत्नी श्रीमती आरती देवी अग्रवाल के नाम पर है। वर्तमान में इस मिल में उसना एवं अरवा दोनों चांवल तैयार होता है वर्ष 2013–14 में सिर्फ अरवा चांवल तैयार करता था। मेरे मिल की क्षमता 2 टन प्रति घंटा है। वर्ष 2013–14 में मार्कफेड से 32000 क्विंटल धान का अनुबंध हुआ था, जिसे बाद में शासन द्वारा 64000 क्विंटल धान का अनुबंध कर लिया गया था। जिसमें से मैंने करीब 48000 क्विंटल धान उठाकर प्रति क्विंटल 67 किलो चांवल के हिसाब से पूरा चांवल नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम में जमा किया हूँ। पिछला चांवल का लेन देन बाकी नही है। नागरिक आपूर्ति निगम का गोदाम कोटा में है। चांवल तैयार कर कोटा के गोदाम में ले जाता था, ट्रांसपोटिंग एवं मिलिंग का बिल मार्फेड डीएमओ से मिलता है। बिलासपुर में जिला प्रबंधक के.के. यदु था। कोटा में नान के गोदाम में स्पेस की समस्या हमेशा बनी रहती है। मैं ज्यादातर चांवल एफसीआई में देता हूँ नान में उनके मानक स्तर पर चांवल तैयार कर देता था इसलिये नान से मुझे किसी प्रकार परेशानी नही रही। नान के गोदाम में चांवल को अनलोड करने एवं स्टेकिंग के लिये हमालो को 2500 रूपये प्रति लाट हमालो के प्रमुख को देता हूँ। यही मेरा कथन है।

दिनांक 08.04.15

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर (छ.ग.)